खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को दोगुणी कैपिटल सब्सिडी !

नई नीति का प्रारूप लगभग फाइनल, कुछ शर्तों के साथ 10 करोड़ की मिलेगी सब्सिडी, जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: सरकारी नीतियों में बदलाव कर निवेशकों को आकर्षित करने के योगी सरकार के प्रयास जारी है। इस कड़ी में अब खाद्य प्रसंस्करण की नई नीति लाने की तैयारी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द ही इस नीति से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नई नीति में निवेशकों को लुभाने के कई प्रयास किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का कार्यकाल 27 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है।

नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में पूंजीगत निवेश अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) को दोगुणा करने की तैयारी है। खाद्य प्रसंस्करण की पिछली नीति में इकाई की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी का प्रविधान था, जिसे नई नीति में 50 प्रतिशत तक ले जाने की तैयारी है। कैपिटल सब्सिडी की मौजूदा सीमा को भी कई गुणा करने की तैयारी है। यूपी में प्रभावी मौजूदा प्रसंस्करण नीति में अधिकतम 50 लाख रुपये तक तक सब्सिडी का लाभ देने का प्रविधान है जिसकी सीमा अब कुछ शर्तों के साथ दस करोड़ रुपये तक हो सकती है। हालांकि इस सीमा तक पूंजीगत निवेश अनुदान पाने के लिए निवेशकों को कोल्ड वैल्यू चेन जैसे तय मानकों का पालन करना होगा। कैपिटल सब्सिडी का लाभ नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में क्षेत्रवार तय फार्मूले के अनुसार ही मिलेगा। मसलन बुंदेलखंड व पूर्वांचल में प्लांट लगाने वाले निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी का लाभ सबसे अधिक मिलेगा। सरकार निवेशकों को निर्यात प्रोत्साहन भी देगी। एयरपोर्ट या समुद्री तट तक उत्पाद को ले जाने के लिए होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत तक वहन सरकार के स्तर से किए जाने पर विचार हो रहा है। पिछले दिनों उद्यमी महासम्मेलन में भी उद्यमियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को रखा था।

ब्याज पर भी मिलेगी छूट

निवेशकों को प्लांट-मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज पर सात प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति पांच वर्ष तक की जाएगी। एमएसएमई इकाई के लिए भी यही प्रविधान होगा। पिछली पालिसी में एमएसएमई को देय ब्याज पर शत प्रतिशत छूट का प्रविधान था।